न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 133/2024 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2024/147

1. श्रीमती मैना देवी पत्नी श्री राजा बाबू जाति पंवार मुसलमान निवासी बी–210 सार्दुल गंज बीकानेर।
2. अशोक खान पुत्र स्व. चन्दन खां जाति पंवार मुसलमान निवासी ए–108 सार्दुल गंज बीकानेर।
3. जावेद खान पंवार पुत्र सराज खां जाति पंवार मुसलमान निवासी ए 108 सार्दुल गंज बीकानेर।
4. अमीन पंवार पुत्र मोहन खां जाति पंवार मुसलमान निवासी ए–66 सार्दुल गंज बीकानेर।
5. भंवर खां पुत्र श्री फैज मोहम्द जाति पंवार मुसलमान निवासी ए 50 सार्दुल गंज बीकानेर।
6. फिरोज खां पुत्र श्री इब्राहिम खां जाति पंवार मुसलमान निवासी सी 37 सार्दुल गंज बीकानेर।
7. सायरा बेगम पत्नी बदरू खां जाति मुसलमान निवासी ए 8 सार्दुल गंज बीकानेर।
8. अजहरूदीन पुत्र श्री इमामुदीन जाति मुसलमान निवासी ए 8 सादुलगंज बीकानेर।

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. मोहनी देवी पत्नी रामरख जाति जाट निवासी भामटसर तहसील नोखा बीकानेर।
2. लाली देवी पत्नी बख्ताराम जाति जाट निवासी भामटसर तहसील नोखा बीकानेर।
3. भूरी देवी पत्नी सिमरथाराम जाति जाट निवासी भामटसर, नोखा जिला बीकानेर।
4. रामी देवी पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी भामटसर नोखा जिला बीकानेर।
5. विजयपाल पुत्र दुर्गा देवी जाति जाट निवासी साधासर तहसील नोखा जिला बीकानेर मुख्त्यारआम महेन्द्र गोदारा पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी बल्लभ गार्डन रोड अम्बेडकर कॉलोनी बीकानेर।
6. श्रीमती विमला देवी पत्नी लाधुराम जाति जाट निवासी नैणों का बास रिडमलसर पुरोहितान बीकानेर।
7. भंवरी
8. बाधू
9. सुमित्रा
10. संतोष
11. तोलाराम

   पिसरान लाधुराम (पुत्र स्व. मेधाराम) जाति जाट निवासी नैणों का बास, रिडमलसर पुरोहितान बीकानेर।

12. गणेश पुत्र स्व. मेधाराम जाति जाट निवासी नैणों का बास, रिडमलसर पुरोहितान बीकानेर

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

13 भंवर
14 कमा
15 गीता
16 गूड़ी

पिसरान भीखाराम (पुत्र स्व. मेधाराम) जाति जाट निवासी नैणों का बास रिडमलसल पुरोहितान बीकानेरं

17 हनुमान पुत्र स्व. मेधाराम जाति जाट निवासी नैणों का बास, रिडमलसल पुरोहितान बीकानेर।

18 रामप्यारी पत्नी मोहनराम जाति जाट निवासी नैणों का बास, रिडमलसर पुरोहितान बीकानेर।

19 अनोपा पुत्र मोहनराम जाति जाट निवासी नैणों का बास, रिडमलसर पुरोहितान बीकानेर।

20 शारदा पुत्री मोहनराम जाति जाट निवासी नैणों का बास, रिडमलसर पुरोहितान बीकानेर।

21 सुनील पुत्र मोहनराम जाति जाट निवासी नैणों का बास, रिडमलसर पुरोहितान बीकानेर।

22 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, बीकानेर।

– रेस्पोन्डेंट्स

23 सादीक राजा पुत्र श्री राजा बाबू जाति पंवार मुसलमान निवासी सार्दुल गंज बीकानेर।

24 वसीम राजा पुत्र श्री राजा बाबू जाति पंवार मुसलमान निवासी सार्दुल गंज बीकानेर।

– गौण रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः अभिभाषक अपीलांट्स श्री राजेश बैद
अभिभाषक रेस्पो. सं. 1 श्री जयचन्द सारस्वत

निर्णय

दिनांक 23.03.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के आदेश दिनांक 18.10.2023 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि मौजारोही नैणों का बास तहसील व जिला बीकानेर के खेत खसरा नंबर 229/203/40/2 में तादादी 200 बीघा (कच्चा) भूमि मेधा वल्द ठाकरसी कौम जाट के नाम खातेदारी मे दर्ज रही। मेधाराम के निधन के पश्चात उक्त भूमि जरियें इंतकाल संख्या 6 दिनांक 30.06.1989 को स्व. मेधाराम के वारिसान लाधुराम, गणेश, हनुमान पुत्रगण मेधाराम बहिस्सा बराबर हिस्सा 1/2 भंवर, मोहन पुत्र स्व भीखाराम(पुत्र स्व. मेधाराम) रूखी बेवा स्व. भीखाराम (पुत्र स्व. मेधाराम) हिस्सा 1/6, तुलछी पुत्री जेठाराम(पुत्र स्व. मेधाराम) हिस्सा 1/6 व आसी बेवा स्व. मेधाराम हिस्सा 1/6 दर्ज की गई। उक्त कुल तादादी 200 बीघा (कच्चा) में से 2/6 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.02.1997 को केसुराम, डुंगरराम पि. रोड़ाराम जाति जाट को विक्रय कर दिया। उक्त विक्रय के पश्चात शेष रही भूमि तादादी 156 बीघा 18 बिस्वा मे से 56 बीघा 19 बिस्वा भूमि लाधुराम, गणेश, हनुमान पुत्रगण मेधाराम, भंवर, मोहन पुत्र स्व भीखाराम (पुत्र स्व. मेधाराम), रूखी बेवा स्व. भीखाराम(पुत्र स्व. मेधाराम), तुलछी पुत्री जेठाराम (पुत्र स्व. मेधाराम), आसी बेवा स्व मेधाराम, केशुराम व डुगंरराम पुत्रगण रोड़ाराम(सभी सहखातेदारान्ने मिलकर) जरियें

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.10.2000 का अपीलांट संख्या 1 व गौण रेस्पोडेन्ट संख्या 23 व 24 को संयुक्त रूप से विक्रय कर दी गई। इसी प्रकार 56 बीघा 19 बिस्वा भूमि लाधुराम, गणेश, हनुमान पुत्रगण मेधाराम, भंवर, मोहन पुत्र स्व भीखाराम (पुत्र स्व. मेधाराम), रूखी बेवा स्व. भीखाराम(पुत्र स्व. मेधाराम), तुलछी पुत्री जेठाराम (पुत्र स्व. मेधाराम), आसी बेवा स्व मेधाराम, केशुराम व डुगंरराम पुत्रगण रोड़ाराम(सभी सहखातेदारान्ने मिलकर) जरियें रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.11.2000 को चन्दन खां, मोहन खां एवं अपीलांट संख्या 5 ता 8 का संयुक्त रूप से विक्रय कर दी। उक्त दोनों रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर इंतकाल संख्या 76 दिनांक 19.10.2001 दर्ज कर दिया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के समक्ष इंतकाल संख्या 6 दिनांक 30.06.1989 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के अपने निर्णय दिनांक 18.10.2023 द्वारा अपील आंशिक स्वीकार कर इंतकाल संख्या 6 दिनांक 30.06.1989 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार बीकानेर को रिमाण्ड कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बीकानेर उक्त रिमाण्ड प्रकरण में अपने निर्णय दिनांक 30.04.2024 द्वारा उक्त वादगत भूमि के संबंध में पुनः इंतकाल दर्ज करने के आदेश पारित कर दिएं। तहसीलदार बीकानेर के आदेश दिनांक 30.04.2024 की पालना में नामांतरण संख्या 497 दिनांक 23.08.2024 दर्ज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के उक्त आदेश दिनांक 18.10.2023 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने वादगत भूमि के राजस्व रिकॉर्ड जमांबदी का अवलोकन ही नही किया। तत्समय राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदारान को पक्षकार बनाये बिना इकतरफा तौर पर पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धांतों के विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्या है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रहें अपीलांट्स मोहनी, लाली, भूरी, रामी एवं दुर्गा ने एक घोषणात्मक अनुतोष का दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उत्तर बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किया जो अनुवानी भूरी वगैरह बनाम गणेशाराम वगैरह दावा सख्या 52/2008 दर्ज हुआ जिस कालांतर में दिनांक 23.03.2015 को विड्रो कर लिया। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 व रेस्पोडेन्ट नंबर 5 विरास्तन रूप से अब वादगत भूमि में इंतकाल की अपील के जरिये अपने आप को स्व. मेघाराम के वारिस के रूप में कोई क्लेम नही कर सकते है। कानूनन उत्तराधिकार के घोषणा बाद साक्ष्य घोषणात्मक वाद के द्वारा ही की जा सकती हैं रेस्पोडेन्ट ने घोषणात्मक वाद को विड्रों करके अपने तथाकथित अधिकारों को समाप्त कर लिया है। उक्त दस्तावेज मान्य न्यायालय के रिकॉर्ड पर लिया जा चुका हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट्स ने महत्वपूर्ण तथ्यों को छीपाकर कानून की प्रक्रिया का दुरूपयोंग करते हुए आदेश जैर अपील प्राप्त किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील मेघाराम के निधन के पश्चात विरास्तन नामांतरकरण संख्या 6 दिनांक 30.06.1989 के विरूद्ध सन् 2024 में प्रस्तुत की गई जो अत्यधिक विलंभ के साथ (करीब 34 वर्ष) प्रस्तुत हुई तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 व रेस्पोडेन्ट नंबर 5 की माता की इंतकाल संख्या 6 की जानकारी सन् 2008 मे होना दावे से साबित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट ने तथ्यों को छीपाकर न्यायालय को धोखे मे रखकर मियाद बाहर

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपील मे आदेश जैर अपील पारित करवाया हैं जबकि प्रथम अपील मियाद के बिंदु पर स्पष्ट रूप से निरस्त किये जाने योग्य थी जिसे स्वीकार करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी गलती की है। कानून की स्पष्ट स्थिति है कि जिस अनुतोष के लिए घोषणात्मक वाद निरस्त हो चुका हो, उसी अनुतोष के लिए पश्चातवर्ती नामांतरण की कार्यवाही नही की जा सकती है। इस प्रकार प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील ही संधारण योग्य नहीं थी जिसे स्वीकार करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी गलती की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली अनुवानी मोहनी देवी वगैरह बनाम स्टेट आदि मिसल नं 88/2023 में पारित आदेश दिनांक 18.10.2023 संशोधित आदेश दिनांक 16.05.2024 को निरस्त करने की कृपा करें तथा आदेश जैर अपील के क्रम में किये गए आदेश एवं राजस्व रिकॉर्ड के परिवर्तनों को निरस्त किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड की दिनांक 18.10.2023 से पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने के आदेश फरमावें।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील बहस में कथन किया कि मूल खातेदार मेघाराम पुत्र ठाकरसी जाति जाट के स्वर्गवास के बाद उसके जायज वारिसान में पत्नी आसी, पुत्र लाधूराम, गणेश, जेठाराम, हनुमान व पुत्रियां लाली, मोहनी, भूरी देवी, दुर्गा व रामी कुल 10 सहखातेदार हुए जिनका उक्त कृषि भूमि में बराबर बराबर हिस्सा हैं। मेघाराम की मृत्यु दिनांक 21.11.1986 को हो चुकी है व आसी देवी पत्नी मेघाराम की मृत्यु दिनांक 25.10.2014 को हो चुकी है। मेघाराम के फौत हो जाने के बाद उक्त कृषि भूमि का इंतकाल दिनांक 30.06.1989 को केवल मात्र लाधूराम, गणेश हनुमान, भंवर, मोहन, रूखी, तुलछी व आसी के नाम विरास्तन दर्ज कर लिया गया, जबकि अपीलांट संख्या 1 ता 4 व 5 की माता यानी मेघाराम की पांचों पुत्रियों का उक्त कृषि भूमि में हिस्सा होते हुए भी बिना नोटिस दिये इंतकाल दिनांक 30.06.1989 को दर्ज कर लिया जो कि सरासर गैर कानूनी व प्राकृतिक न्याय के नियमों के विरूद्ध दर्ज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने विरासतन इंतकाल दर्ज करते समस्त वारिसान के नाम से इंतकाल दर्ज नही कर कानूनी गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर ने मूल खातेदार मेघाराम पुत्र ठाकरसी के समस्त वारिसान के नाम रिकॉर्ड में दर्ज नही होने पर प्रकरण तहसीलदार बीकानेर को पुनः जांच हेतु रिमाण्ड कर दिया। अतः अपील अपीलांट खारिज किया जावें।

4— हमने अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की लिखित बहस एवं दौराने बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–96 सीपीसी प्रस्तुत कर प्रार्थी प्रकरण में आवश्यक व प्रभावित पक्षकार पक्ष होने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना धारा–5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है। वादगत भूमि गावं नैणों का बास के खेत खसरा नंबर 229/203/40/2 में तादादी 200 बीघा (कच्चा) भूमि मेधा वल्द ठाकरसी कौम जाट के नाम खातेदारी दर्ज रही। मेधाराम के निधन के पश्चात उक्त भूमि जरियें इंतकाल संख्या 6 दिनांक 30.06.1989 को स्व. मेधाराम के

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

वारिसान के नाम दर्ज हुआ। उक्त कुल तादादी 200 बीघा (कच्चा) में से 2/6 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.02.1997 को केसुराम, डुंगरराम पि. रोड़ाराम जाति जाट को विक्रय कर दिया। उक्त विक्रय के पश्चात शेष रही भूमि तादादी 156 बीघा 18 बिस्वा मे से 56 बीघा 19 बिस्वा भूमि लाधुराम, गणेश, हनुमान पुत्रगण मेधाराम, भंवर, मोहन पुत्र स्व भीखाराम (पुत्र स्व. मेधाराम), रूखी बेवा स्व. भीखाराम(पुत्र स्व. मेधाराम), तुलछी पुत्री जेठाराम (पुत्र स्व. मेधाराम), आसी बेवा स्व मेधाराम, केशुराम व डुगंरराम पुत्रगण रोड़ाराम(सभी सहखातेदारान्ने मिलकर) जरियें रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.10.2000 का अपीलांट संख्या 1 व गौण रेस्पोडेन्ट संख्या 23 व 24 को संयुक्त रूप से विक्रय कर दी गई। इसी प्रकार 56 बीघा 19 बिस्वा भूमि लाधुराम, गणेश, हनुमान पुत्रगण मेधाराम, भंवर, मोहन पुत्र स्व भीखाराम (पुत्र स्व. मेधाराम), रूखी बेवा स्व. भीखाराम(पुत्र स्व. मेधाराम), तुलछी पुत्री जेठाराम (पुत्र स्व. मेधाराम), आसी बेवा स्व मेधाराम, केशुराम व डुगंरराम पुत्रगण रोड़ाराम(सभी सहखातेदारान्ने मिलकर) जरियें रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.11.2000 को चन्दन खां, मोहन खां एवं अपीलांट संख्या 5 ता 8 का संयुक्त रूप से विक्रय कर दी। उक्त दोनों रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अपीलांट्स के पक्ष में इंतकाल संख्या 76 दिनांक 19.10.2001 दर्ज कर दिया गया। जो कि रिकॉर्ड खातेदार होने के कारण हितबद्ध पक्षकार है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर द्वारा इन्हे पक्षकार नही बनाया गया और ना ही उनके पक्ष को सुना गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन्हे पक्षकार न बनाकर कानूनी भूल की है। साथ ही उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की माता दुर्गा ने एक घोषणात्मक अनुतोष का दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उत्तर बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किया जो दावा संख्या 52/2008 दर्ज हुआ। जिसे दिनांक 23.03.2015 को विड्रो कर लिया। परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 ने तथ्यों को छीपाकर अधीनस्थ न्यायालय में मियाद का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की माता ने घोषणात्मक वाद को विड्रो करके अपने अधिकारों को समाप्त कर लिया है। इससे साबित होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 को इंतकाल संख्या 6 की पूर्ण जानकारी थी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर ने प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार करते समय करीब 24 वर्षो की लंबी अवधि की देरी को दिन प्रतिदिन विलम्ब के कारणों का अंकन नही करते हुए पारित किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर ने धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर कानूनी त्रुटी की है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर आदेश दिनांक 18.10.2023 एवं संशोधित आदेश दिनांक 16.05.2024 निरस्त किया जाता है।

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 23.03.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर